न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 147/2016
निर्णय दिनांक– 28.11.2018

उनवान

मांगीलाल पुत्र काना जाति गुर्जर निवासी ग्राम चितानी तहसील उनियारा जिला टोंक

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– 1. श्री पी0सी0जैन वकील वादी
2.तहसीलदार उनियारा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह है कि आराजीयात साबिका ख0न0 259/1 रकबा 3 बीघा, ख0न0 280 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व ख0न0 322/1/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम चितानी तह0 उनियारा को वादी के पिता काना पुत्र बजरंगा द्वारा सम्वत 2032 से भी पूर्व से फाड तोडकर काबिले काश्त बनाई थी, तब से वादी के पिता के कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। उक्त वर्णित आराजीयात वादी के पिता के तथा उसके पश्चात वादी के कब्जे काश्त मे चली आ रही होने के कारण भू आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनांक 23.6.83 को वादी के आवंटन कर दिया गया तथा कमाण्ड क्षेत्र मे होने से कमाण्ड क्षेत्र की राशि भी वादी द्वारा नियमानुसार सरकार मे जमा करा दी गई। उक्त वर्णित आराजीयात पर वादी का तब से आज तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटन का इन्द्राज सम्वत 2042 की खसरा परिवर्तनशील मे भी नोट अंकित कर दिया गया, परन्तु राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम अमल दरामद नही किया गया। जबकि आज भी उक्त वर्णित आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त वर्णित आवंटित भूमि को सेटलमेन्ट में साबिक ख0न0 259 का नया खसरा नम्बर 531 रकबा 0.36, साबिका ख0न0 322/1/1 का नया ख0न0 763 रकबा 0.35 है0 बना दिये तथा सा0 ख0न0 280 का मुताबिक शीट व मौका अर्थात कब्जे के अनुसार ख0न0 532 रकबा 0.25, ख0न0 641 रकबा 1.75 है0 बने है। जबकि मिलान क्षैत्रफल 280 का गलत बनाया गया है। वादी की उक्त आवंटित भूमि पर आज भी वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से सिवायचक मे दर्ज कर रखा है। जिसे राजस्व रिकार्ड से सिवायचक से हटाया जाकर वादी के नाम का इन्द्राज किया जाना न्यायहित मे उचित एवं आवश्यक है।

यह है कि वादी की अधियाचना है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री सादिर फरमाया जावे। आराजी साबिका खसरा नंबर 259/1 रकबा 3 बीघा, ख0न0 280 रकबा 1 बीघा 5

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

बिस्वा, ख0न0 322/1/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा हाल ख0नं0 531 रकबा 0.36, ख0न0 532 रकबा 0.25, ख0न0 641 रकबा 1.75 व ख0न0 763 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम चितानी तहसील उनियारा वादी के नाम गैर खातेदारी व कब्जे काश्त मे दर्ज की जावे। इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी की उक्त वर्णित आराजी से बेदखली या पेनेल्टी सम्बन्धित कोई कार्यवाही नहीं करे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 14.8.2018 को जवाब दावा पेश किया गया कि बिन्दु संख्या 1 के मुताबिक वादी मांगीलाल पिता काना गूर्जर निवासी चितानी को दिनांक 23.6.83 को भू आवंटन सलाहाकार समिति केम्प कुण्डेर मे ख0न0 280 मे से 1 बीघा 5 बिस्वा, 322/1/1 मे 2 बीघा 5 बिस्वा, 259/1 मे 3 बीघा 15 बिस्वा कुल 7 बीघा 5 बिस्वा का आवंटन 375 रूपये प्रति बीघा की दर से 2719 रू0 मे हुआ था। उक्त आवंटन सेटलमेन्ट के पूर्व के ख0न0 मे हुआ था, जिनके नये ख0न0 258, 259 मी से नवीन ख0न0 531 रकबा 0.37 तथा ख0न0 322/1/1 मि से 763/0.35 का बना है। इन दोनों खसरा नम्बरान पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी द्वारा उक्त आवंटन के पेटे 750 रू0 जमा हुये है। शेष राशि जमा होना आवश्यक है। बिन्दु संख्या 4 मे मौके एवं कब्जे अनुसार साबिक ख0न0 280 के नवीन ख0न0 532 रकबा 0.25, ख0न0 641 रकबा 1.75 है0 बनना बताया है किन्तु सेटलमेन्ट के मिलान क्षैत्रफल मिलान नही होता है। वादी को साबिक ख0न0 मे हुये आवंटन अनुसार मिलान क्षैत्रफल से ख0न0 531 रकबा 0.36 तथा 763 रकबा 0.35 है0 का वादी के पक्ष मे शेष सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा करवाने पर गैर खातेदार के रूप मे अमल राजस्व रेकार्ड मे किया जाना उचित है।

जवाब पेश होने के बाद वादपत्र मे निम्न तनकियात कायम कर विवेचित की गई:—

1— आया वादी आवंटित भूमि साबिक ख0न0 259/1 रकबा 3 बीघा, ख0न0 280 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा , ख0न0 322/1/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा हाल ख0न0 531 रकबा 0.36, ख0न0 532 रकबा 0.25, ख0न0 641 रकबा 1.75 व ख0न0 763 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम चितानी तहसील उनियारा की गैर खातेदारी प्राप्त करने एवं राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द करवाने का मुश्तहक है?

—वादी

2—आया बिन्दु संख्या 4 मौके एवं कब्जे अनुसार साबिक ख0न0 532 रकबा 0.25, ख0न0 641 रकबा 1.75 है0 बनना बताया है,, जिसका मिलान क्षैत्रफल से मिलान नहीं होता है?

—प्रतिवादीगण

3.आया ख0न0 531 रकबा 0.36 तथा ख0न0 763 रकबा 0.35 की सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा करवाने पर गैर खातेदार के रूप मे अमल राजस्व रेकार्ड मे किया जावे?

—प्रतिवादीगण

4—दादसी?

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नोटिस 80 सी.पी.सी. प्रदर्श 1, रसीदे डाक खाना प्रदर्श 2 ता 4 , प्राप्ति स्वीकृति रसीदात प्रदर्श 5 व 6, आवंटन आदेश प्रदर्श 7, नकल जमाबन्दी ग्राम चितानी सम्वत 2027 प्रदर्श 8, खसरा परिवर्तनशील सं0 2032, 34 ता 42 प्रदर्श 9, खसरा परिवर्तनशील सं0 2065 से 2067, 2070 प्रदर्श 10, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 11, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 12, नकल जमाबन्दी सम्वत 2069—2072 प्रदर्श 13, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2071 प्रदर्श 14 पेश किये है।

वादी ने अपने वाद के निम्न गवाहान पी.डब्लू. 1 मांगीलाल, पी.डब्लू. 2 रामपाल व पी0डब्लू0 3 पोखर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । वाद पत्र मे कायमशुदा तनकियात पर न्यायालय का विवेचन निम्नवत है:—

1.तनकी नम्बर मे आया वादी आवंटित भूमि साबिक ख0न0 259/1 रकबा 3 बीघा, ख0न0 280 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा , ख0न0 322/1/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा हाल ख0न0 531 रकबा 0.36, ख0न0 532 रकबा 0.25, ख0न0 641 रकबा 1.75 व ख0न0 763 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम चितानी तहसील उनियारा की गैर खातेदारी प्राप्त करने एवं राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द करवाने का मुश्तहक है?

प्रदर्श 7 नकल आवंटन आदेश दिनांक 23.6.83 के अनुसार आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा मांगीलाल पुत्र काना जाति गूजर निवासी चितानी को ग्राम चितानी मे सिवायचक भूमि ख0न0 280 मे से 1 बीघा 5 बिस्वा, 322/1/1 मे 2 बीघा 5 बिस्वा, 259/1 मे 3 बीघा 15 बिस्वा कुल 7 बीघा 5 बिस्वा का आवंटन 375 रूपये प्रति बीघा की दर से 2719 रू0 मे हुआ था। प्रदर्श 9 नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत 2032,34 ता 40 मे साबिक आराजी ख0न0 259/1, 280 व 322/1/1 पर काना पुत्र बजरंगा गूजर का अतिक्रमण दर्ज है। नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2042 मे दिनांक 23.6.83 को मांगीलाल पु. काना को ख0न0 359/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 280 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 322/1/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि की राशि 2718.75 से प्रथम किश्त 750.00 जमा हुये है का अंकन दर्ज है। प्रदर्श 10 नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2065, 2066, 2067, 2070 मे आराजी ख0न0 531/0.36, 532/0.25, 641/0.50, 763/0.35 पर मांगीलाल पुत्र काना गूजर चितानी का अतिक्रमण दर्ज है। प्रदर्श 14 नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक ख0न0 258 मी व 259 मी से हाल ख0न0 531 रकबा 0.36 बने है। साबिक ख0न0 322/1/1 मी से हाल ख0न0 763 रकबा 0.35 है0 बने है। जिन पर वादी का कब्जा काश्त पाया जाता है। वादी ने साबिक आवंटित आराजीयात की राजस्व नक्शा शीट प्रस्तुत नही की है जिससे शेष साबिक आराजीयात को उसके नाम दर्ज करने की पूर्ण जानकारी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। तहसीलदार उनियारा ने अपने जवाब दावे में अंकित किया है कि उक्त आवंटन सेटलमेन्ट के पूर्व के ख0न0 मे हुआ था, जिनके नये ख0न0 258, 259 मी से नवीन ख0न0 531 रकबा 0.37 तथा ख0न0 322/1/1 मि से 763/0.35 का बना है। इन दोनों खसरा नम्बरान पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी द्वारा उक्त आवंटन के पेटे 750 रू0 जमा हुये है। शेष राशि जमा होना आवश्यक है। बिन्दु संख्या 4 मे मौके एवं कब्जे अनुसार साबिक ख0न0 280 के नवीन ख0न0 532 रकबा 0.25, ख0न0 641 रकबा 1.75 है0 बनना बताया है किन्तु सेटलमेन्ट के मिलान क्षैत्रफल मिलान नही होता है। वादी को साबिक ख0न0 मे हुये आवंटन

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

अनुसार मिलान क्षैत्रफल से ख0न0 531 रकबा 0.36 तथा 763 रकबा 0.35 है0 का वादी के पक्ष मे शेष सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा करवाने पर गैर खातेदार के रूप मे अमल राजस्व रेकार्ड मे किया जाना उचित है।

इस प्रकार वादी हाल आराजी ख0न0 531 रकबा 0.36 तथा 763 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम चितानी को राजस्व रेकार्ड मे गैर खातेदारी मे दर्ज करवाने का मुस्तहक है। अतः इस तनकी का निर्णय आंशिक रूप से वादी के पक्ष मे किया जाता है।

2.तनकी नम्बर 2 मे प्रतिवादीगण को यह सिद्व करना था कि आया बिन्दु संख्या 4 मौके एवं कब्जे अनुसार साबिक ख0न0 532 रकबा 0.25, ख0न0 641 रकबा 1.75 है0 बनना बताया है,, जिसका मिलान क्षैत्रफल से मिलान नहीं होता है?

तनकी न0 1 मे विवेचन किया जा चुका हैं कि वादी ने साबिक आवंटन आराजीयात का सम्पूर्ण मिलान क्षैत्रफल व साबिक नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नही किया है। मौके एवं कब्जे अनुसार साबिक ख0न0 532 रकबा 0.25, ख0न0 641 रकबा 1.75 है0 बनना बताया है,, जिसका मिलान क्षैत्रफल से मिलान नहीं होता है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष मे किया जाता है।

3.तनकी नम्बर 3 मे प्रतिवादीगण को यह सिद्व करना था कि .आया ख0न0 531 रकबा 0.36 तथा ख0न0 763 रकबा 0.35 की सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा करवाने पर गैर खातेदार के रूप मे अमल राजस्व रेकार्ड मे किया जावे?

वादी को साबिक आराजी कीमतन आवंटित हुयी है, जिसमे से वादी ने 750.00 रूपये राजकोष मे जमा करा दिये है। उक्त आराजीयात को गैर खातेदार के रूप मे दर्ज करने से पूर्व आवंटन के पेटे बकाया शेष राशि मय ब्याज राज्य कोष मे जमा होना आवश्यक है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष मे किया जाता है।

उपरोक्त तनकियात के निर्णय के प्रकाश मे न्यायालय वादी के वाद को आंशिक डिकी किया जाना उचित समझता है। अतः वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक डिकी किया जाता है। आराजी ख0न0 531 रकबा 0.36 तथा ख0न0 763 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम चितानी तहसील उनियारा को वादी के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज करने से पूर्व शेष राशि राज्य वादी से राज्य कोष मे जमा करावे। पर्चा डिक्री जारी हो । फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)
उनवान

मांगीलाल पुत्र काना जाति गुर्जर निवासी ग्राम चितानी तहसील उनियारा जिला टोंक

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :— 147 वर्ष 20186

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री प्रेम चन्द जैन वकील वादी मिनजानिब मुद्दइ व तहसीलदार उनियारा मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी ख0न0 531 रकबा 0.36 तथा ख0न0 763 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम चितानी तहसील उनियारा को वादी के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज करने से पूर्व शेष राशि राज्य वादी से राज्य कोष मे जमा करावे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 11 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner